



आदेश की क्रम-संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित 3
<p><u>19/5/17</u></p>	<p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>अपर समाहर्ता, लोक शिकायत निवारण-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बांका के द्वारा प्रथम अपील में दिनांक-16.01.2017 को पारित आदेश के आलोक में परिवादी भीम मंडल, पिता-गोविन्द मंडल, ग्राम-विरनौधा, पोस्ट-गिधौड़ा, अंचल-शंभुगंज, जिला-बांका के द्वारा द्वितीय अपील दायर किया गया है जिसका अनन्य संख्या-523110125071600282/2A वर्ष-2017 भीम मंडल बनाम् प्रोग्राम पदाधिकारी, शंभुगंज है।</p> <p>इस संबंध में प्रोग्राम पदाधिकारी, शंभुगंज के पत्रांक-37 दिनांक-06.04.17 एवं पत्रांक-49 दिनांक-11.05.17 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त है।</p> <p>अपीलार्थी का परिवाद यह है कि उन्हें मनरेगा योजना में किये गये मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है जिससे वो परेशान है। मजदूरी भुगतान हेतु अनुरोध किया गया है।</p> <p>प्रोग्राम पदाधिकारी, शंभुगंज ने अपने पत्रांक-49 दिनांक-11.05.17 द्वारा भीम मंडल के आवेदन को संलग्न कर यह प्रतिवेदन समर्पित किया है कि भीम मंडल सहित अन्य सभी श्रमिकों का भुगतान शुरू हो गया है। भुगतान की प्रक्रिया शुरू होने से भीम मंडल संतुष्ट होकर वाद स्थगन हेतु लिखित आवेदन समर्पित किया है। भीम मंडल के संलग्न आवेदन दिनांक-10.05.17 में भीम मंडल द्वारा यह कहा गया है कि कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, शंभुगंज के द्वारा मजदूरी भुगतान किया गया जो श्रीमान् के यहाँ परिवाद चल रहा है उसे स्थगित किया जाय।</p> <p>उक्त प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि अपीलार्थी के परिवाद का निवारण हो गया है। तदआलोक में वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित    19/5/17  जिला पदाधिकारी,  बांका</p> <p style="text-align: center;">   19/5/17  जिला पदाधिकारी  -सह-  द्वितीय अपीलीय प्राधिकार,  जिला लोक शिकायत निवारण,  बांका।</p>	